

मप्र बनेगा माइस और साहसिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल: मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट 2026 के दूसरे दिन साहसिक पर्यटन और माइस एवं रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रदेश को प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव हरिकिशोर एस. ने कहा कि इंदौर और भोपाल में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजन केंद्र बनने की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य में माइस प्रोत्साहन ब्यूरो के गठन,



रणनीति तैयार करने और बड़े सम्मेलन केंद्र विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि भारत का माइस बाजार लगभग 37,576 करोड़ रुपये का हो चुका है।

फिक्की माइस पर्यटन समिति के अध्यक्ष एवं विजक्राफ्ट समूह

के सह-संस्थापक सब्बास जोसेफ ने कहा कि ओरछा, खजुराहो, महेश्वर, मांडू और ग्वालियर जैसे ऐतिहासिक नगर गंतव्य विवाह और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने स्थानीय व्यंजन, कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को

सह-संस्थापक सब्बास जोसेफ ने कहा कि ओरछा, खजुराहो, महेश्वर, मांडू और ग्वालियर जैसे ऐतिहासिक नगर गंतव्य विवाह और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने स्थानीय व्यंजन, कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को

शामिल करते हुए विशेष आयोजन पैकेज विकसित करने पर जोर दिया। पर्यटन विभाग के सचिव एवं मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक डॉ. इलैयाराजा टी. ने वर्ष 2027 को साहसिक पर्यटन वर्ष के रूप में मनाते हुए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही।

पद्मश्री अजीत बजाज ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से साहसिक पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रमाणित मार्गदर्शकों, सुरक्षा मानकों, आपातकालीन बचाव व्यवस्था और चिकित्सा बीमा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

भोपाल में 1.30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी बाबा सोमनाथ मंदिर की झांकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: विट्ठल मार्केट हाट बाजार में जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव एवं श्रीराम रसोई समिति के 24वें नवरात्रि आयोजन में इस वर्ष करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से बाबा सोमनाथ मंदिर की भव्य झांकी तैयार की जा रही है।

समिति संयोजक हरिओम खटीक ने प्रेस वार्ता में बताया कि झांकी निर्माण में कोलकाता के 42 कारीगर पिछले तीन माह से जुटे हैं। इसमें 45 से 48 मूर्तियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। समिति के संरक्षक राजेंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता से पहले पत्रकारों का परिचय कराया।



इसके बाद संयोजक हरिओम खटीक, झांकी अध्यक्ष विजय गुप्ता और संरक्षक सुनील पांडे ने बताया कि झांकी के माध्यम से बाबा सोमनाथ मंदिर की भव्यता, आध्यात्मिक महत्ता और सनातन संस्कृति को दर्शाया जाएगा। पंडाल में भागवान गणेश, सूर्य

देव, बाबा सोमनाथ के भव्य गर्भगृह और मां जगत जननी दुर्गा के दर्शन होंगे। समिति ने बताया कि झांकी के माध्यम से बाबा सोमनाथ मंदिर की भव्यता, आध्यात्मिक महत्ता और सनातन संस्कृति को दर्शाया जाएगा। पंडाल में भागवान गणेश, सूर्य

इंदिरा नगर में दो अनधिकृत निवासियों से आवास खाली कराए



नप्र, भोपाल: नगर निगम भोपाल की हाउसिंग फॉर ऑल शाखा ने इंदिरा नगर फेस-01 बीएसयूपी आवासीय परियोजना में कार्रवाई करते हुए दो अनधिकृत निवासियों से आवास खाली कराए। साथ ही चार ऋणधारकों से बकाया राशि का भुगतान कराकर ऋण का सेटलमेंट कराया गया।

नंबर स्टॉप के पास स्थित आवासीय परियोजना में यह कार्रवाई स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस के एनपीए ऋणधारकों के संबंध में की गई। कार्रवाई के दौरान बैंक अधिकारी-कर्मचारी, निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्ता और पुलिस बल मौजूद रहा।

राज्य पुलिस सेवा के 18 अधिकारियों को उच्च वेतनमान

नप्र, भोपाल: मध्यप्रदेश शासन ने राज्य पुलिस सेवा के 18 वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च वेतनमान देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में विभागीय छात्रबीन समिति की बैठक में अधिकारियों की पात्रता और सेवाकाल की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। वर्ष 2001 बैच तक के सात अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

इसके तहत अजय प्रताप सिंह, घनश्याम मालवीय, इरमीन शाह, अरविंद कुमार दुबे, अमरेंद्र सिंह, आशीष खरे और उमेश कुमार शर्मा को छठे वेतनमान के अनुसार 37,400 से 67,000 रुपये वेतनमान तथा 8,900 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। वहीं, वर्ष 2006 बैच तक के 11 अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इनमें परमिंदर सिंह सैनी, नवीन कुमार चौधरी, अखिलेश सिंह रेनवाल, अभिषेक दीवान, डॉ. संजीव कुमार उड्डेक, शिवकुमार सिंह, अंतर सिंह कर्ना, नवल सिंह मिसौदिया, ज्योति ठाकुर, सुनीता रावत और बालमुकुंद शाक्य शामिल हैं।

महापौर मालती राय ने भागवत कथा का श्रवण किया

भोपाल, । महापौर श्रीमती मालती राय शुक्रवार को आकृति ईको सिटी ब्लू स्कॉई हाईराइज कॉलोनी में आयोजित सात दिवसीय संगीतमयी श्रीराम्द भागवत कथा में शामिल हुईं। उन्होंने व्यास पीठ की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया और कथा का श्रवण किया।



ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण की याचिका निरस्त होने पर प्रतिक्रिया

भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध: खंडेलवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि यदि उसकी मंशा वास्तव में ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार दिलाने की थी, तो उसने कानून बनाते समय पर्याप्त संवैधानिक आधार और प्रभावी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर आगे की रणनीति तय करेगी। आवश्यकता के अनुसार सभी राजनीतिक दलों से चर्चा

और समन्वय के माध्यम से भी आगे की कार्ययोजना पर विचार किया जाएगा।

कांग्रेस ने जल्दबाजी में लिए निर्णय

श्री खण्डेलवाल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का विषय लाखों नागरिकों के अधिकारों, युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। इस विषय पर राजनीति करने के बजाय सभी पक्षों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जल्दबाजी में लिए गए अपने निर्णय की जवाबदेही से वह कब तक बचती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के संकल्प को पूरा करने की दिशा में प्रदेश सरकार सभी आवश्यक कानूनी विकल्पों पर

विचार करेगी और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप आगे बढ़ेगी। भाजपा ओबीसी वर्ग के अधिकारों, सम्मान और सामाजिक न्याय के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार: पटेल

मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हाईकोर्ट ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार के ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को निरस्त किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये अध्यादेश राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में लाया गया था। इसमें संवैधानिक त्रुटियां हैं, जिन्हें कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। पटेल ने कहा- उस समय तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया था लेकिन कमलनाथ सरकार ने उससे सहमति लेना उचित नहीं समझा।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला (एमटी), भोपाल (म.प्र.)

पुलिस विभाग के वाहनों के रख-रखाव के लिये आवश्यकतानुसार विविध प्रकार की सामग्री क्रय करने हेतु 03 माह के लिए अनुबंध हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस., (एमटी), भोपाल द्वारा पुलिस विभाग के वाहनों के रख-रखाव के लिये आवश्यकतानुसार विविध प्रकार की सामग्री (स्टोर 1 भाग-3 से संबंधित) क्रय करने हेतु 03 माह के लिए दर अनुबंध किये जाने हेतु खुली ई-निविदा आमंत्रित की गई है। निम्न एव शर्तें तथा अनुबंध की विस्तृत जानकारी mptenders.gov.in तथा www.mppolice.gov.in की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रकाशन की दिनांक	09/10/2026 के 17:00 बजे
निविदा पत्र डाउनलोड करने की प्रारंभ दिनांक	09/10/2026 के 18:00 बजे
प्रो-बिड मीटिंग दिनांक	12/10/2026 के 11:00 बजे
निविदा जमा करने की प्रारंभ दिनांक	16/10/2026 के 11:00 बजे
निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक	29/10/2026 के 14:00 बजे
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक	30/10/2026 के 16:00 बजे

जी-19729/26

पुलिस अधिक्षक,पी. टी. एस. (एमटी), भोपाल

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 6.80 लाख किसानों ने कराया पंजीयन

भोपाल। खरीद विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपाजर्जन के लिए प्रदेश में अब तक लगभग 6.80 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें 6.77 लाख धान उत्पादक और 13 हजार मोटा अनाज उत्पादक किसान शामिल हैं। पंजीकृत किसानों का कुल रकबा 10.88 लाख हेक्टेयर है। पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पंजीयन की समीक्षा की। उन्होंने तकनीकी समस्याओं का निराकरण कर निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वास्तविक किसानों से उपाजर्जन सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष पहली बार एग्रीस्टेक आईडी का उपयोग किया जा रहा है।

स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग करेंगे पटवारी



राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में मध्यप्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने भेंट की।

इस दौरान मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा और भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर उपस्थित रहे। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रस्तावित सम्मेलन के लिए

आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री से भेंट के बाद मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि चर्चा सार्थक रही। स्वामित्व योजना में आवश्यक न्यायिक संरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने आवश्यक आदेश जारी करने की बात कही है।

मध्यप्रदेश प्रांतीय पटवारी संघ के अखिल सैनी ने कहा कि संघ के सदस्य स्वामित्व योजना से जुड़े कार्यों को पूरी निष्ठा से करने के

लिए तत्पर हैं। भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय मंत्री कुलदीप सिंह ने कहा कि स्वामित्व योजना से संबंधित कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पटवारी अपने दायित्वों के निर्वहन में पीछे नहीं रहेंगे और जनकल्याण के लिए मुख्यमंत्री के निर्णयों में सहभागी बनेंगे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने पटवारी संघ के पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री से परिचय कराया।

वार्ड 5 में तीन सड़कों का भूमिपूजन, निर्माण कार्य शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: वार्ड क्रमांक 5 में विकास कार्यों के तहत पार्षद अशोक मारण ने जनचेतना पार्क के समीप स्थित तीन सड़कों का एक साथ भूमिपूजन किया। भूमिपूजन के साथ ही सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया।

इस अवसर पर पार्षद अशोक मारण ने कहा कि उनका प्रयास है कि कार्यकाल के दौरान वार्ड की सभी जर्जर सड़कों का जल्द से जल्द कायाकल्प हो। वर्तमान में खराब या शेष बची सड़कों का निर्माण कार्य भी आने वाले समय में शीघ्र शुरू कराया जाएगा। पूंज्य सिंघी पंचायत के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधु चांदवानी ने कहा कि पार्षद



अशोक मारण के प्रयासों से वार्ड क्रमांक 5 में विकास कार्य हो रहे हैं। वरिष्ठ समाजसेवी सतीश खानचंदानी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना, जो क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हैं। कार्यक्रम का संचालन

प्रवक्ता महेश गुरबानी ने किया और आभार उप ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम लालवानी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर माधु चांदवानी, घनश्याम लालवानी, सतीश खानचंदानी, अशोक पुरुस्वानी, यश मेघानी, कमल

शेवानी, निलेश भारानी, जीतू बेलानी, लोकेश बेलानी, जीतेश खानचंदानी, नरेंद्र केवलानी, जगदीश सांवले, महेश गुरबानी, प्रकाश विधानी और राजकुमार धानुक सहित बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी उपस्थित रहे।

भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई



नप्र, भोपाल: नगर निगम भोपाल के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटाए। इस दौरान बड़ी संख्या में पान पार्लर, काउंटर, बोर्ड, स्टूल, कुर्सियां, टेबल और दुकानों के बाहर रखा सामान हटाया गया। दो ठेले भी जब्त किए गए।

निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर गुरवार को कोलार रोड, चूना भट्टी, सर्वधर्म कॉलोनी, शाहपुरा, ईश्वर नगर, जवाहर

चौक, लिंक रोड, अन्ना नगर, अशोका गार्डन, प्रभात चौराहा, छोला रोड, कबाड़खाना, हमीदिया रोड, रॉयल मार्केट सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। ईश्वर नगर सब्जी फार्म क्षेत्र में अवैध दीवार हटाई गई।

छोला पानी की टंकी के पास चार घरों के बाहर रखी फर्शियां हटाई। पिनाको होम्स और अयोध्या बायपास क्षेत्र में सड़क पर रखी निर्माण सामग्री हटाई गई।

CHANGE OF NAME

I Ziya UL Hasan S/O Zulfęquar Ali R/O 45, Noor Mahal Road Bhopal GPO 462001 (M.P.) I declare that My old name was Ziaul Hasan S/O Zulfęquar Ali. Written in My old Passport, now has to be changed Ziya UL Hasan S/O Zulfęquar Ali. Hence forth I shall be known as Ziya UL Hasan S/O Zulfęquar Ali in future for all purpose including all the official documentations.

1904

जाहिर सूचना

मैं, अपने पश्कार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पश्कार ने आसिक अली पिता श्री शाफ़िद अली आयु व्यरक निवासी मकान नं. 322, सोनिया गॉडी कॉलोनी, ऐराबाग, नियर जेनुर मरिजद, हुजुर, भोपाल म.प्र. के खलव, खामिख एज आभियथ की मकान नं. 07 कुल क्षेत्रफल 15*30=450 ग्वाफिद है, जो कि कमा मिश्री गारे की दीवारों सिफालापोश, बाग रानी साहिबा नियर ऐराबाग, स्टडीयम नगर भोपाल, तहसील हुजुर, जिला भोपाल म.प्र. में नगर निगम अनुसूचर परिवर्तित होकर मकान नं. 322 हो गया है यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी बैक, सोसायटी, व्यक्तित, संस्था आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेन-देन या वाद-विवाद, हिदा, दान, गिरवी, दसीयत, विक्रय अनुबंध, विक्रय विलेख आदि किया हो तो वह इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में सुर्पण साक्ष्य के साथ उपस्थित होकर मय दस्तावेजों के आपत्ति प्रस्तुत करें, समय अवधि व्यतीत होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी तथा मेरा पश्कार अतः भूमि का पंजीयन अपने पक्ष में कराने के लिये स्वतंत्र होंगे।

मदुल अग्रवाल,एडवोकेट

कार्यालय पता अग्रवाल लॉ डेवर, धानी की टकी के सामने, पुरानी अदालत, शाहजहानाबाद, भोपाल म.प्र.

मो. 9827239335

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अद्योसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड संभाग क्रमांक-02

भोपाल, Mobile No. : 9425601534

ई-मेल : pe.policehousingbpl2@mp.gov.in

क्र.:मप्रपुआअविनि/1055/प.चं./भोपाल-02/तश्रा/2026

भोपाल, दिनांक : 09.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति

बाह्य विद्युतीकरण का कार्य अईशहरी थाना भवन कदवाया में 1X25 KVA ट्रांसफार्मर एवं 11KVA शिरोपरि लाइन का कार्य जिला अशोकनगर के कार्य हेतु निविदा क्रमांक-16/2026-27 ऑनलाइन निविदा क्रमांक- 2026 MPPHC_542233। आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 27.10.2026 समय 5.00 बजे तक ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं, विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal: https://mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/128498/2026

परियोजना यंत्री

कार्यालय सय्यद अधिकारी

म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

अशोका गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भवना/शेड क्रमांक 177 ए-सेक्टर माइड द्वारा श्रीमती शाहीदा खान पत्नी श्री नूरुद्दीन खान के नाम पर हस्तान्तरण अदेश क्र. 8594-99 दिनांक 8/7/1992 को हस्तातर्कित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 31/07/1992 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्रीमती शाहीदा खान पत्नी श्री नूरुद्दीन खान द्वारा भारत का विक्रय विलेख दिनांक 28/05/2008 को उप पंजीयक कार्यालय से निष्पादित कराकर श्री आरिफ अज्मज सिद्दीकी आनज श्री अह्दुल वाहिद सिद्दीकी को विक्रय कर दिया गया है। परन्तु क्रेता/विक्रेता दान्य मण्डल से हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं करवाई है। अब संपत्ति के क्रेता श्री आरिफ अज्मज सिद्दीकी आनज श्री अह्दुल वाहिद सिद्दीकी द्वारा आवेदन पत्र, शाय-पत्र (-रसक का) एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक 28/05/2008 के आधार पर उक्त संपत्ति अपने नाम हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। उनके द्वारा वह शाय-पत्र भी प्रस्तुत किया है कि भवन के मूल आवेदनी श्रीमती शाहीदा खान पत्नी श्री नूरुद्दीन खान एवं उनके परिवार का वर्तमान में कभी पता नहीं चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विक्रय विलेख दिनांक 28/05/2008 के आधार पर उक्त संपत्ति श्री आरिफ अज्मज सिद्दीकी आनज श्री अह्दुल वाहिद सिद्दीकी के नाम पर हस्तान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचारधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सतुत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

सय्यद अधिकारी

म.प्र. गृह नि. एवं अद्यो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

कार्यालय सय्यद अधिकारी

म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

अशोका गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भवन क्रमांक 823 ए-सेक्टर मण्डल द्वारा श्री साहब हुसैन आत्मज श्री अहमद हुसैन के नाम हस्तान्तरण आदेश क्र. 3019-27 दिनांक 15/04/1985 को हस्तातर्कित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 28/06/1985 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री साहब हुसैन आत्मज श्री अहमद हुसैन की दिनांक 09/03/2014 को मृत्यु होने के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती बानो बी पत्नी स्व. श्री साहब हुसैन के द्वारा उक्त संपत्ति को अपने नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शाय पत्र, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति श्रीमती बानो बी पत्नी स्व. श्री साहब हुसैन के नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचारधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सतुत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

सय्यद अधिकारी

म.प्र. गृह नि. एवं अद्यो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल